प्रेषक,

रमेश चन्द–प्रथम
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

<u>विषय–श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा सेल्फ असेसमेन्ट मूल्यांकन वर्ष 2019–2020 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) हेतु दी गयी प्रतिकूल गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।</u>

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी को 1 अपैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के कार्य काल के दौरान निष्पादन वादों के निस्तारण के सन्दर्भ में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा प्रतिकूल गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल के सेल्फ असेसमेन्ट अप्लीकेशन में ''Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iv) Progress & disposal of execution cases के कालम में यह अंकित किया गया है कि "Four execution cases were shown to be pending on 31.03.2020. The officer has not decided any execution case when he was Presiding Officer of SC/ST Court. He has decided one execution case when he was in the court of Additional District & Sessions Judge Court No.03 but this fact is not clear one execution case which he has decided was in full satisfaction or otherwise."

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की ''ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल'' के माध्यम से हुई है। जिसके सन्दर्भ में मेरा विनम्र निवेदन निम्नवत् है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति के आधार पर जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार मैंने दिनांक 14.05.2019 को अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3 कानपुर नगर का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 14.05.2019 से दिनॉक 15.08.2020 तक मैंने अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3 कानपुर नगर के रुप में कार्य किया। अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल में अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3 कानपुर नगर में दिनांक 14.05.2019 से दिनॉक 15.08.2020 के मध्य कुल 4 निष्पादन वाद लम्बित थे। निष्पादन वाद संख्या–226/2018 प्रकाश चन्द बनाम मोतीलाल में स्वयं डिक्रीदार द्वारा स्थगन आवेदन देने के कारण व निष्पादन वाद संख्या–93/2019 श्रीराम महादेव प्रसाद बनाम अनिल कुमार में निर्णीत ऋणी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी की गयी परन्तु नोटिस का तामीला रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उपस्थिति सुनिश्चित करने में समय लगा। अन्ततः दिनांक 13.08.2019 को निर्णीत ऋणी पर नोटिस का तामीला पर्याप्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.08.2019 की तिथि नियत की गयी। इसी बीच नियत तिथि दिनांक 30.08.2019 से पूर्व ही दिनांक 16.08.2019 को मेरा

स्थानान्तरण एस0एसी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय में हो गया इसीलिए इन निष्पादन वादों का मेरे द्वारा अन्तिम रुप से निस्तारण नही किया जा सका। निष्पादन वाद संख्या–53/2019 सत देवी बनाम अनूप टन्डन में तृतीय पक्षकार द्वारा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण कार्यवाही लम्बी हो गयी इसलिए इस निष्पादन वाद का निस्तारण नही किया जा सका। तीनों निष्पादन वादों में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में मेरे द्वारा स्वयं के हस्तलेख में लिखे गये आदेशपत्र की प्रतियॉ **संलग्नक–1** हैं।

चौथे निष्पादन वाद संख्या–11/2006 मिट्ठू लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मेरे द्वारा दिनांक 18.07.2019 को नानकन्टेस्टेड निस्तारित किया गया। परन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल के सेल्फ असेसमेन्ट अप्लीकेशन में "Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iv) Progress & disposal of execution cases से सम्बन्धित विवरणी संलग्नक–7 के रिमार्क कालम में क्रम संख्या–1 में टाईपिंग की आकस्मिक त्रुटि के कारण "नानकन्टेस्टेड" शब्द लिखने से छूट गया है परन्तु उक्त निष्पादन वाद के "नानकन्टेस्टेड" निस्तारित करने के सन्दर्भ में ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल में "Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iii) से सम्बन्धित विवरणी संलग्नक–4 के पृष्ठ–2 पर इस निष्पादन वाद को नानकन्टेस्टेड के रुप में निस्तारित दर्शित किया गया है जिसे हाईलाईट किया जा रहा है। जो प्रत्यावेदन का **संलग्नक–2** है।

2. मैंने दिनांक 16.08.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक अनन्य (Exclusive) विशेष न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में कार्य किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह न्यायालय विशेष न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के रुप में कार्यरत थी तथा इस न्यायालय में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट वादों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के वाद भी अन्तरित होकर निस्तारण हेतु आते थे परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वादों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस न्यायालय को "अनन्य" विशेष न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बना दिया गया इसीलिए पूर्ववर्ती जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वादों के अतिरिक्त शेष अन्य सभी प्रकार के वादों को अन्य न्यायालयों में अन्तरित कर दिया गया।

मेरे द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.08.2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्यभार ग्रहण की तिथि पर इस न्यायालय में कोई निष्पादन वाद लम्बित नही था। माह अगस्त 2019 में भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम से सम्बन्धित 3 निष्पादन वाद एवं 5 प्रकीर्ण वाद कुल 8 पत्रावलियॉ भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण कानपुर नगर से अन्तरित होकर प्राप्त हुई थी। चूँकि यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वादों के विचारण/निस्तारण के उद्देश्य से "अनन्य" विशेष न्यायालय के रुप में गठित कर दिया गया था इसीलिए मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरुप एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वादों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से उपरोक्त 8 पत्रावलियों को अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना के साथ दिनांक 19.09.2019 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर को अन्तरण आवेदन **(संलग्नक–3)** प्रस्तुत किया गया परन्तु उपरोक्त पत्रावलियॉ अन्य न्यायालय में अन्तरित नही की गयीं।

"अनन्य" विशेष न्यायाधीश के रुप में कार्य करते हुए मेरे द्वारा अतिचिन्तनीय रुप से प्राचीन, अति प्राचीन, प्राचीन एवं अन्य विशेष वादों को प्राथमिकता के आधार पर निर्णीत/निस्तारित किया गया। मेरे द्वारा सन् 1992 के 2 सत्र परीक्षणीय मामले, सन् 1998 का 1 मामला, सन् 1999 के 2 मामले, सन् 2000 का 1 मामला, सन् 2003 के 2 मामले, सन् 2004 का 1 मामला, सन् 2007

के 2 मामले, सन् 2008 का 1 मामला, सन् 2009 के 2 मामले, सन् 2010 के 3 मामले, सन् 2011 के 3 मामले, सन् 2012 का 1 मामला, सन् 2013 का 1 मामला, सन् 2014 के 3 मामले, सन् 1987 का 1 क्रिमिनल रिवीजन एवं सन् 2011 का 1 क्रिमिनल अपील आदि गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये गये हैं। निर्णीत वादों की सूची **संलग्नक–4** है। इस सन्दर्भ में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा भी ''Remarks given by the District Judge" के कालम संख्या–01(e)(iii) में दी गयी प्रविष्टि में इसकी पुष्टि की गयी है।

उपरोक्त वादों का निस्तारण करने के साथ–साथ ही मेरे द्वारा तीनों निष्पादन वादों (*निष्पादन वाद संख्या–3/2016 सोमेश्वर आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, कानपुर नगर, निष्पादन वाद संख्या–4/2016 अरुण कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, कानपुर नगर एवं निष्पादन वाद संख्या–5/2016 रामभरोसे आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, कानपुर नगर*) को भी शीघ्र निस्तारित करने का पूर्ण प्रयास किया गया। श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर का उपरोक्त आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उपरोक्त निष्पादन वादों में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को नोटिस जारी किया गया। उभयपक्ष के उपस्थित आने पर निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि को डिक्री धन जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि तीनों निष्पादन वाद एक ही सन्दर्भ वाद में पारित निर्णय व डिक्री के निष्पादन के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये। तीनों निष्पादन वादों में निर्णीत ऋणी द्वारा साथ–साथ समान आशय व प्रार्थना के साथ भिन्न–भिन्न आवेदन प्रस्तुत किये गये।

निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, कानपुर नगर द्वारा तीनों निष्पादन वादों में आवेदन इस आशय का प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि निर्णीत ऋणी द्वारा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। उक्त अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार/खारिज कर दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–13353/2015 में पारित आदेश/निर्देश दिनांक 06.11.2015 के विपरीत अपील खारिज की गयी है इसलिए उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिव्यू दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके इस न्यायालय में दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाय। आवेदनपत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत ऋणी के सभी आवेदनपत्रों को निरस्त किया गया। अग्रिम तिथि 25.10.2019 नियत करते हुये निर्णीत ऋणी को अवसर देते हुए निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसे नियत तिथि के पूर्व दाखिल किया जाय अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान किया जाय।

दिनांक 25.10.2019 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, कानपुर नगर द्वारा तीनों निष्पादन वादों के विरूद्ध आपत्ति प्रकीर्ण वाद संख्या–1547/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि, प्रकीर्ण वाद संख्या–1548/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि एवं प्रकीर्ण वाद संख्या–1549/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम रामभरोसे आदि अन्तर्गत धारा–47 सपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल किया गया। निर्णीत ऋणी द्वारा तीनों निष्पादन वादों में धारा–47 सपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता की आपत्ति का निस्तारण होने तक निष्पादन वादों की कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त तीनों प्रकीर्ण वादों तथा तीनों निष्पादन वादों की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर दिनांक 19.11.2019 को निर्णीत ऋणी का उपरोक्त तीनों प्रकीर्ण वाद एवं निष्पादन वादों की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों को विस्तृत आदेश पारित करते हुये निरस्त किया गया तथा यह आदेश पारित

किया गया कि निर्णीत ऋणी माननीय उच्च न्यायालय का यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसे नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान करें।

दिनांक 26.11.2019 को निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री धनराशि का भुगतान न करके तीनों निष्पादन वादों में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि निर्णीत ऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध रिवीजन दाखिल करके इजरा की कार्यवाही के विरूद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय प्रदान दिया जाय। निर्णीत ऋणी के इस आवेदन को हर्जे पर स्वीकार करते हुये निर्णीत ऋणी को निर्देशित किया गया कि यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करें अन्यथा डिक्री धनराशि का भुगतान किया जाय।

दिनांक 16.12.2019 को निर्णीत ऋणी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निर्णीत ऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की प्रतिलिपि दिनाक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी है। नकलें प्राप्त होने के बाद अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नही हुआ है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की तिथि प्रदान की जाय। इस आवेदन को अंशतः स्वीकार करते हुये माह जनवरी के द्वितीय सप्ताह की तिथि नियत करने के बजाय दिनांक 23.12.2019 की तिथि नियत की गयी तथा निर्णीत ऋणी को निर्देशित किया गया कि डिक्री धनराशि का भुगतान करें। नियत दिनांक 23.12.2019 को भी निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री धनराशि का भुगतान नही किया गया तथा स्थगन आवेदन देकर समय की मॉग की गयी। समय की मॉग करने हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन उसी दिन दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीत ऋणी के विरूद्ध रिकवरी वारन्ट जारी करते हुए अग्रिम तिथि 04.01.2020 नियत की गयी।

पुनः दिनांक 04.01.2020 को निर्णीत ऋणी द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कुर्की आदेश दिनांकित 23.12.2020 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित रिव्यू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिया जाय। मेरे द्वारा इस आवेदन को उसी दिन निरस्त करते हुए डिक्री धनराशि की वसूली हेतु अमीन को परवाना जारी करने का आदेश दिया गया। डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर निर्णीत ऋणी का बैंक खाता कुर्क किया गया।

दिनांक 24.02.2020 को डिक्रीदार द्वारा आवेदन 46ग प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया कि निर्णीत ऋणी के कुर्क किये गये खाते में कोई जमा धनराशि शेष नही है। आवेदन 46ग के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल अपील नम्बर–18/2020 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुन कुमार और अन्य, सिविल अपील नम्बर–19/2020 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर दुबे और अन्य एवं सिविल अपील नम्बर–20/2020 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम रामभरोसे शुक्ला और अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 की प्रतिलिपि दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2020 में निर्णीत ऋणी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध दाखिल पुनरीक्षण को खारिज करते हुए इस न्यायालय के आदेश को पुष्ट किया गया।

निर्णीत ऋणी द्वारा दिनांक 27.02.2020 को पुनः आवेदन देकर निवेदन किया गया कि विभाग मुख्यालय से डिक्री धनराशि अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने के लिए समय दिया जाय। निर्णीत ऋणी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन आवेदन भी निरस्त किया गया। स्थगन आवेदन खारिज किये जाने के पश्चात् निर्णीत ऋणी द्वारा निष्पादन वाद संख्या–4/2016 में दिनांक 19.03.2020 को डिक्री धनराशि अंकन 35,42,636.00 रुपये का डी0डी0 न्यायालय में जमा किया गया और न्यायालय को वचन दिया गया कि अग्रिम तिथि पर शेष डिक्री धनराशि अवश्य जमा कर दी जायेगी। न्यायालय एवं डिक्रीदार दोनों ने निर्णीत ऋणी के भुगतान करने हेतु दिये गये इस वचन

पर विश्वास किया। निर्णीत ऋणी के वचन पर विश्वास करते हुए ही डिक्रीदारों द्वारा भी अवसर दिये जाने पर कोई आपत्ति नही की गयी इसलिए न्यायालय द्वारा डिक्री की शेष धनराशि जमा करने के लिए अग्रिम तिथि 27.03.2020 नियत की गयी। इसी बीच कोरोना/कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालय बन्द हो गया और दिनांक 31 मार्च 2020 (मूल्यांकन वर्ष 2019–2020) के पूर्व यह पत्रावली मेरे समक्ष सुनवाई हेतु पेश नही हो सकी। इसी कारण तीनों निष्पादन वाद इस निर्धारण वर्ष में निस्तारित नही किये जा सके।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व तिथि पर निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री की शेष धनराशि के भुगतान हेतु दिया गया वचन सद्भाविक एवं वास्तविक प्रतीत हुआ इसीलिए न्यायालय द्वारा समय प्रदान करते हुए अग्रिम तिथि नियत की गयी और इसीलिए डिक्रीदारों द्वारा भी अग्रिम तिथि नियत किये जाने पर कोई आपत्ति नही की गयी। यदि दिनांक 27.03.2020 को कोरोना/कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालय बन्द नही होता तो दिनांक 27.03.2020 को ही डिक्री की शेष धनराशि का भुगतान हो जाता और ये तीनों निष्पादन वाद इसी निर्धारण वर्ष में खारिज/निर्णीत हो जाते। तीनों प्रकीर्ण वादों एवं तीनों निष्पादन वादों के आदेशपत्र की प्रति **संलग्नक–5** है और यही विवरण मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल में "Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iv) Progress & disposal of execution cases से सम्बन्धित विवरणी संलग्नक–7 में भी दिया गया है। जो प्रत्यावेदन का **संलग्नक–6** है।

3. एक निष्पादन वाद संख्या–28/2020 श्याम शरण गर्ग बनाम शिवसहाय मिश्रा दिनांक 26.02.2020 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर के आदेशानुसार अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। चूँकि निष्पादन वाद अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ था इसलिए सामान्य नियमावली 1957 के नियम 89क के अधीन पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 07.03.2020 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 07.03.2020 को डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और नोटिस की पैरवी का समय देने हेतु स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया। डिक्रीदार के स्थगन आवेदन को स्वीकार करते हुए अग्रिम तिथि 21.03.2020 नियत की गयी एवं डिक्रीदार को अन्दर सप्ताह पैरवी करने का आदेश दिया गया परन्तु कोरोना/कोविड–19 महामारी के कारण एवं अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण डिक्रीदार की तरफ से कोई उपस्थित नही आया और दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व यह पत्रावली मेरे समक्ष सुनवाई हेतु पेश नही हो सकी। इसी कारण यह निष्पादन वाद इस निर्धारण वर्ष में निस्तारित नही किया जा सका। इस निष्पादन वाद के आदेशपत्र की प्रति **संलग्नक–7** है।

4. स्वनिर्धारण विवरणी के बिन्दु संख्या–2 में निर्धारित मानक 1200 यूनिट वार्षिक है। जिसके सापेक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुल 2093.31 यूनिट का कार्य किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में गुण–दोष के आधार पर कुल 122 मामले निर्णीत किये गये हैं। जिनमें अधिकांश मामले अतिचिन्तनीय रुप से प्राचीन, अति प्राचीन, प्राचीन एवं अन्य विशेष वाद भी हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेरे द्वारा "अनन्य" विशेष न्यायाधीश के रुप में कार्य करते हुए निष्पादन वादों के निस्तारण का पूर्ण प्रयास किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक से अत्यधिक कार्य किया गया है। निष्पादन वादों के निस्तारण का भी पूर्ण प्रयास किया गया है परन्तु उपरोक्त निष्पादन वादों का अन्तिम रुप से निस्तारण धारा–47 की आपत्ति दाखिल करने के कारण, धारा–47 सिविल प्रक्रिया संहिता की आपत्ति खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल कर दिये जाने के कारण, स्वयं डिक्रीदार द्वारा बार–बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने व पैरवी न करने के कारण एवं अन्ततः कोरोना/कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालय बन्द हो जाने से नही हो सका।

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा दी गयी उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि से भविष्य में मेरे न्यायिक कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरे द्वारा निर्धारित मानक से अधिक किये

गये कार्य (आउट–टर्न/यूनिट) एवं अतिचिन्तनीय रुप से प्राचीनतम वादों के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए मेरे प्रत्यावेदन को स्वीकार कर ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल में "Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iv) Progress & disposal of execution cases में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाया/मिटाया (Expunge) जाना अपेक्षित एवं आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए श्रीमान् जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा मेरे स्वनिर्धारण आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ई–सर्विसेज के जे0ओ0 पोर्टल के सेल्फ असेसमेन्ट अप्लीकेशन में "Remarks given by the District Judge" के बिन्दु संख्या–01(e)(iv) Progress & disposal of execution cases में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को मेरे प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हटा/मिटा (Expunge) देने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष समावेदन करने की कृपा करें।

दिनांकः 20.08.2020 साभार।

(रमेश चन्द–प्रथम)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय कानपुर नगर।

Digitally signed by RAMESH CHAND I
Date: 2020.09.03 11:30:57 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court